


29



सुमीत कुमार पिता घनश्यामदास अटल
निवासी आगर जिला शाजापुर म.प्र.
निगरानीकर्ता
विरुद्ध

श्री धर्म-रुचि वरुण
श्रीमं. सर शा. ल.
दि-4-12-12 कोरम
पुस्तिका

[Handwritten signature]
2/12/12

1. तहसीलदार महोदय आगर जिला शाजापुर म.प्र.
2. राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 आगर जिला शाजापुर म.प्र.
3. कस्बा पटवारी आगर जिला शाजापुर म.प्र.

प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी म.प्र.भू.रा.सं. के धारा 50 प्रावधान अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार महोदय आगर के प्रकरण क्रमांक 41 एवं 42 अ 12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2012 अंतर्गत की गई सीमांकन की समस्त कार्यवाही से दुखी होकर निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

यह कि उक्त संदर्भित निगरानी निर्धारित समयवाधि में माननीय कलेक्टर महोदय शाजापुर के यहां दिनांक 19/03/2012 को प्रस्तुत की थी। परन्तु म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 के प्रावधानों में परिवर्तन हो जाने से कलेक्टर महोदय शाजापुर ने मूल निगरानी प्रकरण राजस्व मण्डल को सुनवाई का अधिकार प्राप्त हो जाने से निगरानीकर्ता को वापस लौटा दिए जो निगरानीकर्ता को तहसीलदार आगर के माध्यम से मूल प्रकरण दिनांक 20/11/2012 को प्राप्त हुए तथा निगरानीकर्ता ने तत्काल अपनी निगरानी श्रीमान की न्यायालय में प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है:-

1. यह कि मुझ निगरानीकर्ता सुमीत कुमार पिता घनश्यामदास अटल की एक भूमि कस्बा छावनी आगर सर्वे क्रमांक 5/4 में रकबा 0.314 हे. स्थित है जिसका मुझ निगरानीकर्ता ने सीमांकन प्रकरण क्रमांक 143 अ 12/2001-02 में पारित आदे 1 दिनांक 17.07.2002

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला शाजापुर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4095-एक/2012

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-6-2015	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी दिनांक 28-4-15 को आवेदक अभिभाषक उपस्थित थे। आवेदक अभिभाषक ने आगामी पेशी दिनांक 26-5-15 नोट की थी, परन्तु वे उक्त पेशी पर उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 26-5-15 को पेशी प्रवाचक द्वारा बढाई गई। आवेदक एवं उनके अभिभाषक की तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>सदस्य</p>